निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 70 / 2025
दायरा दिनांकः–05.08.2025
निर्णय दिनांकः– 4.11.25

उनवान

1. रामकल्याण आयु 55 साल पुत्र भैरूलाल जाति बैरवा
2. रामनारायण आयु 53 साल पुत्र भैरूलाल जाति बैरवा निवासीगण ग्राम खोपर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबड़ा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 4.11.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री सोमेश कुमसा गोलव – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल खोपर पटवार मण्डल खोपर तहसील छबड़ा की अन्तिम चौसाला आधार सम्वत 2075 2078 जमाबन्दी 2079 (वर्ष 2023) से स्थायी मे खाता संख्या 179 मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 391 रकबा 4.0721 हैक्टयर खसरा नम्बर 400/2 रकबा 1.7705 हैक्टयर, कुल किता 2 कुल रकबा 5.8426 हैक्टयर भूमि स्थित है जो खातेदारान रामकल्याण पुत्र भेरया हिस्सा 1/2 जाति बैरवा सा. देह, रामनारायण पुत्र भेरया हिस्सा 1/2 जाति बैरवा सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबन्दी चली आ रही है। जिस पर प्रार्थीगण निर्बाध रूप से काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण भाई भाई है एंव प्रार्थीगण के आधार कार्ड, परिचय पत्र, पेन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी, एंव जाति प्रमाण पत्र वगेरहा सभी दस्तावेजो मे प्रार्थीगण के पिता का नाम भैरूलाल दर्ज है। प्रार्थना पत्र मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी मे प्रार्थीगण के पिता का नाम भेरया दर्ज रिकार्ड है जो अशोभनीय एंव अशुद्ध है जिसे प्रार्थीगण शोभनीय एंव शुद्ध भैरूलाल दर्ज करवाना चाहते है। प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड मे भेरया एंव प्रार्थीगण के अन्य दस्तावेजो मे भैरूलाल दर्ज होने से प्रार्थीगण को अनेक परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड मे अपने पिता शोभनीय नाम भैरूलाल दर्ज करवाना चाहते है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी पैरोकार सरकार को जर्ये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी पैरोकार सरकार की ओर से रिपोर्ट/जवाब पेश हुआ। प्रार्थीगण ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खोपर सम्वत् 2075--78 खाता संख्या 179 पेश की गई। फोटो प्रति आधार कार्ड वोटर आई.डी.पेन कार्ड. परिवार राशन कार्ड. बैक पास बुक जन आधार कार्ड जाति प्रमाण पत्र रामकल्याण आधार कार्ड रामनारायण पहचान पत्र बैकं पास बुक परिवार राशन कार्ड पेन कार्ड जाति प्रमाण पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खोपर तहसील छबडा में स्थित है। जिस पर प्राथीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थीगण के आधार कार्ड पहचान पत्र पेन कार्ड परिवार राशन कार्ड बैंक पास बुक एवं जाति प्रमाण पत्र में प्रार्थीगण के पिता का सही नाम भैरूलाल दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम भैरूलाल के स्थान पर भेरिया दर्ज कर दिया। प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को अनेक परेशानियों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को राज्य सरकार से मिलने वाले लाभ नही मिल पा रहे है प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में भेरिया के स्थान पर भैरूलाल दर्ज किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम खोपर की भूमि खाता संख्या 178 किता 2 कुल रकबा 5.8426 है में वर्तमान जमाबन्दी में रामकल्याण पुत्र भेरया रामनारायण पुत्र भेरया हिस्सा 1/2, 1/2 जाति बैरवा सा0देह खातेदार दर्ज है प्रार्थीगण का नाम रामकल्याण, रामनारायण पुत्र भेरया नामान्तरण संख्या 966 दिनांक 07.10.2010 से विरासत के नामान्तरण से दर्ज हुआ है चूंकि प्रार्थीगण के पिता का नाम जमाबन्दी में भेरया ही दर्ज था इसलिए विरासत नामान्तरण में भी उक्त नाम ही दर्ज किया गया तब से लेकर आदिनांक तक जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता का नाम भेरया दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थीगण के सभी दस्तावेज में पिता का नाम भैरूलाल दर्ज है जॉच के दौरान मौके पर उपस्थित मौतवीरान से जानकारी लेने पर पाया गया कि प्रार्थीगण के पिता को भेरया एवं भैरूलाल दोनो नामों से जाना जाता था एवं उनको गांव में बोलचाल की भाषा में भेरया के नाम से ही बुलातें थे। उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता का नाम भेरया के स्थान पर भैरूलाल दुरुस्त करने की अनुशंषा की है।

बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खोपर सम्वत् 2075--78 खाता संख्या 178 में रामकल्याण, रामनारायण पुत्र भेरया जाति बैरवा दर्ज है आधार कार्ड पेन कार्ड पहचान पत्र जनआधार कार्ड परिवार राशन कार्ड जाति प्रमाण पत्र बैक पास बुक में रामकल्याण पुत्र भेरूलाल, रामनारयण पुत्र भैरूलाल दर्ज है प्रार्थीगण के पिता का नाम

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

जस्व रिकार्ड जमाबन्दी में भेरया गलत दर्ज है तथा प्रार्थीगण के अन्य दस्तावेजात में भैरूलाल सही दर्ज है प्रार्थीगण अपने पिता का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सही दर्ज करवाना चाहतें है। तहसीलदार छबडा द्वारा विरासत के नामान्तरण में रामकल्याण व रामनारायण के पिता का नाम भेरया गलत दर्ज होना बताया है भेरया व भैरूलाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है तहसीलदार छबडा ने भी भेरया के स्थान पर भैरूलाल दुरूस्त करने की अनुशंषा की है प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: **क्रियात्मक आदेश** ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम खोपर तहसील छबडा के खसरा नम्बर 391 रकबा 4.0721 है0 खसरा नम्बर 400/2 रकबा 1.7705 है0 में प्रार्थीगण के पिता का नाम रामकल्याण, रामनारायण भेरया के स्थान पर रामनारायण, रामकल्याण पुत्र भैरूलाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा